

**"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"**  
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
हमीरगढ़

**विषय:-** राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अरुण की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 83, 71 में मेरा नाम केला पुत्र मल्हाण का नाम दर्ज है जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम केला उर्फ अमरलाल पुत्र मल्हाण है जिसे राजस्व रिकॉर्ड में शूद्ध करने की कृपा करावे अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक \_\_\_\_\_

प्रार्थी

( अमर लाल सेन )

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम अरुण के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 83, 71 में प्रार्थी का नाम ना. केला पुत्र मल्हाण दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम केला उर्फ अमरलाल पुत्र मल्हाण है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि.

पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अरुण व भू.अ.नि. अरुण एवं प्रार्थी द्वारा सलंगन दस्तावेज के आधार पर ग्राम अरुण की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 83, 71 में प्रार्थी का नाम ना. केला पुत्र मल्हाण के बजाय केला उर्फ अमरलाल पुत्र मल्हाण किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

D.NO. / LR / 287 / 7-3-2025

45/2025  
7/3/25

तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम अरुण जमाबन्दी संवत् 2076-2079 खाता संख्या 83, 71 में दर्ज प्रार्थी का नाम ना. केला पुत्र मल्हाण के स्थान पर केला उर्फ अमरलाल पुत्र मल्हाण संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी